FIVE RUPEES
COURT FEE
पाँच रुपये

(103)

15/-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

R 2374-III/06 प्रकरण क्रमांक /2006 निगरानी

१। शोभनाथ पुत्र बलभद्र साहू
२। सुखदेव पुत्र श्री बलभद्र साहू
३। मुखु बलंती पुत्री श्री बलभद्र साहू
४। प्रेमलाल पुत्र श्री रामकुमार साहू
सभी निवासीगण ग्राम बिलौंजी (तेलियान) तहसील सिंगरौली, जिला सीधी, म०प्र० -- प्रार्थीगण

श्री .... अवस्थी एड० द्वारा आज दि० 21-12-06 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

विरुद्ध

श्री अनिरुद्ध प्रसाद पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, निवासी ग्राम बिलौंजी (तेलियान) तहसील सिंगरौली, जिला सीधी, म०प्र० -- प्रतिप्रार्थी

21/12/06

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग दिनांक २५-११-०६ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९ । प्रकरण क्रमांक १०६/०५-०६ निगरानी ।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपर आयुक्त महोदय एवम अपर कलेक्टर महोदय की आज्ञायें कानूनन सही नहीं हैं ।

(२) यहकि अधीनस्थ निगरानी न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।

(३) यहकि अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रतिप्रार्थी की ओर से तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक १७-१०-०५ के विरुद्ध निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था ।

------ 3

P.T.O.

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2374–तीन/06 **जिला** –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
29.6.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 106/05–06/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.11.06 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदक शोभनाथ ने विवादित आराजी नम्बर 354/1 रकवा 0.089 है0 में से 0.06 डिसमिल पर कब्जा वापस लिये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां पर अनावेदक ने इसी आराजी के संबंध में कैविएट प्रस्तुत की थी और उस पर सुनवाई किये जाने हेतु अनुरोध किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी कर दिया और प्रकरण तलबी हेतु नियत किया गया । इसी ओदश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत हुई जो स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के	

न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की, अपर आयुक्त रीवा ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को सही मानते हुये निगरानी निरस्त की, इसी से दुखी होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 17.10.05 कमीशन द्वारा स्थल निरीक्षण के संबंध में था जबकि कलेक्टर ने अपने आदेश के द्वारा दिनांक 16.9.05 के आवेदन के संबंध में आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता का कहना है कि जिस आदेश के विरूद्व निगरानी आवेदन पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया है उस आदेश को निगरानी में निरस्त करने में कानूनन भूल की है तथा ऐसे आदेश को अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थिर रखने में भूल की है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 148 (ए) सी.पी.सी. के प्रावधान का अर्थ सही नहीं समझा केविएट आवेदन पत्र होते हुये भी यदि न्यायालय उचित समझे तब ही प्रकरण में स्थगन दिया जाता है। इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा राजस्व निर्णय 1988 पृष्ठ 342 का अनुसरण किया है। इस न्याय दृष्टांत पर विचार किये बिना आदेश पारित करने में भूल की है ।

उनके द्वारा अपनी बहस में कहा गया है कि केबियेट आवेदन पत्र के अनुसार सुनवाई करान निगरानी न्यायालय द्वारा आवश्यक समझा गया था तब प्रकरण इस हेतु प्रारंभिक न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिये था लकिन अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी स्वीकार कर प्रकरण ही समाप्त कर दिया। ऐसे अवैधानिक आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त रीवा द्वारा भूल की गई है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जावे जिससे आवेदकगण को न्याय दान मिल सके।

4- अनावेदक की ओर से प्रकरण में कोई उपस्थित नहीं हुआ। अनावेदक को न्यायालय द्वारा कई सूचना पत्र जारी किये लेकिन वह आज तक प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये है अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5- मेरे द्वारा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने पर एवं प्रस्तुत तर्को पर विचारोपरांत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.9.05 को आवेदन प्रस्तुत किया, जहां पर अनावेदक के द्वारा कैवियेट आवेदन दिनांक 20.9.05 को प्रस्तुत किया गया इस कैवियेट आवेदन पत्र के प्रस्तुत होने के उपरंत तहसीलदार सिंगरौली के

द्वारा दिनांक 20.9.05 को एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया। विचारण न्यायालय का यह आदेश विधि संगत नहीं कहा जा सकता है। क्यों कि पहले उनको आवेदन पत्रों का निराकरण करना चाहिये था। उसके पश्चात आदेश पारित करना था लेकिन ऐसा न करते हुये आदेश पारित किया है। अतः अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में विस्तर से चर्चा की है । इसमें दोहराने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 25.11.06 स्थिर रखा जाता है।

सदस्य